



UPMO010077812023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-६, मुरादाबाद।

सत्रवाद संख्या-1224 / 2023

अ०सं०-340 / 2019, थाना ठाकुरद्वारा।

राज्य बनाम धर्मवीर

19.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त धर्मवीर पुत्र नौबत सिंह की मृत्यु आख्या सम्बन्धित थाने द्वारा 17बी प्रस्तुत की गयी। थाने की आख्यानुसार अभियुक्त धर्मवीर की मृत्यु दिनांक 26.07.2024 को हो चुकी है। मृत्यु आख्या के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र 17बी/3 संलग्न है। अभियुक्त धर्मवीर की मृत्यु हो जाने के कारण वाद उपशमित किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

अभियुक्त धर्मवीर की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध वाद उपशमित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(सियाराम चौरसिया)

अपर सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट सं०-६, मुरादाबाद।

यूपी 6384